Serial No. 13076 Circle:-:NA Book No. :- 4 Deed No. 30

1

Serial No. 13076 Deed No. 30

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Bikram
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **31/12/2021** by **Shri Govind Sharma**
A stamp duty of Rs. **5000/-** and other fees of Rs. **2500/-** has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **30** in Book No. **4**, Volume No. **1** on pages from **395** to **407** and has been preserved in total **12** pages in C.D. No. **1** / Year **2021**

बिहार सरकार

Signature with Date
(Pappu Kumar)
Registering Officer, **Bikram**

Date: 31/12/2021 Token No: 13141 /2021

ट्रस्ट—विलेख

साधना एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट का न्यास विलेख

सार्वजनिक धातव्य न्यास का यह विलेख आज दिनांक 31 माह दिसम्बर वर्ष 2021 को निम्नलिखित के द्वारा निष्पादित हुआ :—

श्री गोविन्द शर्मा पिता का नाम स्व0 गुन्दिका सिंह निवासी पुरुषोत्तमपुर निसरपुरा, डाकघर-अगरपुरा, थाना— नौबतपुर, जिला— पटना। (जिसमें जब तक इस संदर्भ के विरोधी या इससे अलग नही किये गऐ हैं, उनके निष्पादक प्रशासक और प्रतिनिधि शामिल समझे जायेंगे) जिसे आगे संस्थापक, प्रथम भाग कहा गया है।

संस्थापक का हस्ताक्षर

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Sub District Registry Office,Bikram

Token Number 13141	Reg. Year 2021	Serial Number 13076	Deed Number 30

PresType	Name	Photo	Thumb / Index / Middle / Ring / Little
Presented By Sig.	Shri Govind Sharma श्री गोविन्द शर्मा 31/12/2021		
Sig.	Shri Govind Sharma श्री गोविन्द शर्मा 31/12/2021		
Trustee Sig.	Kumari Saroj Bala Sharma कु॰ सरोज बाला शर्मा 31/12/2021		
Trustee Sig.	रोहिताश्व कुमार 31/12/2021 Rohitashv Kumar श्याम		
Trustee Sig.	Shyam Nandan Jha श्याम नन्दन झा 31/12/2021		
Identified By Sig.	Sanjeev Kumar संजीव कुमार 31/12/2021		

Rohitashva Kumar
Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

अवर निबंधक कार्यालय
बिक्रम (पटना)

1. श्री गोविन्द शर्मा उम्र – 60 वर्ष पिता का नाम स्व0 मुन्द्रिका सिंह मो0न0– 9204305453 निवासी पुरूषोत्तमपुर निसरपुरा, डाकघर–अमरपुरा, थाना– नौवतपुर, जिला– पटना। (जिसमें जब तक इस संदर्भ के विरोधी या इससे अलग नहीं किये गए हो, इस विलेख के लिए अस्थायी तौर से उसके न्यासी या न्यासीगण या उनके कार्यरत उत्तराधिकारी शामिल समझे जायेंगे) जिसे आगे प्रथम न्यासी अन्य भाग कहा गया है।

एवं

2. श्री रोहिताश्व कुमार पिता का नाम गोविन्द शर्मा निवासी पुरूषोत्तमपुर निसरपुरा, डाकघर–अमरपुरा, थाना– नौवतपुर, जिला– पटना।

3. श्री कुमारी सरोज बाला शर्मा पती का नाम गोविन्द शर्मा निवासी– निवासी चेसी, डाकघर–चेसी, थाना– नौवतपुर, जिला– पटना।

4. श्री श्याम नन्दन झा पिता रामेश्वर झा, निवासी परेयां बथना पुरबारी, डाकघर गरहुआ, थाना– मुजफ्फरपुर, जिला– मुजफ्फरपुर।(बिहार) (जिसमें जब तक इस संदर्भ के विरोधी या इससे अलग नहीं किये गये हों, इस विलेख के लिए अस्थायी तौर से उनके और उनके कार्यरत उत्तराधिकारी शामिल समझे जायेंगे) जिसे आगे अन्य भाग का न्यासीगण कहा गया है।

यह कि संस्थापक सार्वजनिक धातव्य उद्देश्य से एक न्यास की स्थापना के इच्छुक हैं और यह कि संस्थापक के आग्रह पर न्यासीगण ने इस विलेख के पक्षधारी बनकर तथा इसे निष्पादित कर इसे प्रमाणित कर दिया है, इस विलेख के प्रधन न्यासी के रुप में कार्य करना स्वीकार किया है और यह कि इस विलेख के अन्तर्गत निमित इस सार्वजनिक धातव्य न्यास के उद्देश्यों एवं शर्तो की घोषणा करना आवश्यक है)

अब इस संविदा में निम्नलिखित साक्षी हैं :–

1. यह कि अपने उपरोक्त इच्छा को कार्यरुप देने के लिए संस्थापक ने मो. 1,00,000/– (एक लाख) रुपये मात्र की रकम सुरक्षित कर न्यासी को सौंप दी है (जो आगे 'प्रथम कोष' के रुप में नकद, अन्यान्य सम्दत्ति अथवा किसी अन्य प्रकार का निवेश जिसमें वह अथवा उसका कोई अंश समय–समय पर रुपांतरित किया जा सके, निवेषित किया जा सके अथवा न्यासी/न्यासियों द्वारा अर्जित किया जा सके अथवा इस विलेख के से कानूनी कार्रवाई के द्वारा उनके हाथ में आ सके और न्यासीगण उसे धारित करेंगे और अपने कब्जे में रखेंगे जो इस

गवाह का हस्ताक्षर

संस्थापक का हस्ताक्षर

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

विलेख में निहित्त अधिकारो, व्यवस्थाओं, करारनामा एवं घोषणाओं के अधीन होगा)

2. यह कि इस न्यास का नाम ***साधना एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट न्यास*** होगा तथा वर्तमान समय में इसका कार्यालय पुरूषोत्तमपुर निसरपुरा, साई मंदिर नौबतपुर, लॉक, जिला– पटना मे और/अथवा समय–समय पर न्यासियो द्वारा तय स्थान पर होगा।

3. यह कि इस न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

(ए) शिक्षा के विकास एवं उन्नयन तथा सामान्यजनों के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के उपयोग के लिए स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, वाचनालय, बी.एड.कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, शोध तथा अन्य प्रकार के भारत में संस्थानों की स्थापना, संचालन, समर्थन करना, सहायता देना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(बी) बच्चों की सुदृढ़ प्राथमिक, प्राक्–प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक वरीय माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य से स्कूलों/कॉलेजों को स्थापित करना, प्रारंभ करना, संचालित करना, अधिग्रहण करना अथवा उनकी व्यवस्था एवं संधारण करना।

(सी) स्कूल, सी.बी.एस.ई.स्कुल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संधारण करना।

(डी) सर्व साधारण के हित एवं उपयोग के लिए अस्पतालों, मेडिकल स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थाओं, आई.टी.आई., बी.एड कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, दवा–दुकानों, मातृत्व घरों, बाल विकास केन्द्रों एवं/अथवा इसी प्रकार की भारत में अन्य धातव्य संस्थाओं की स्थापना, विकास, संधारण तथा नकदी सहायता करना।

(इ) टंकन, आशु लिपि, कम्प्यूटर, ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मॉडलिंग, योग, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य व्यवसायिक एवं प्रशिक्षण विषयों में प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था एवं प्रबंधन करना।

(एफ) स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के लिए भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, लेखन सामग्री, परिवहन, पुस्तकालय, वाचनालय, छात्राबास, प्रयोगशाला, क्रीड़ास्थल, स्नान कुंड तथा अन्य संभव सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(जी) न्यास के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के काम एवं विस्तार के लिए कर्मचारी, कामगार, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य व्यवसायिकों, प्रबंधकों, अभिकर्ताओं को कार्यरत करना, नियोजित करना, पारिश्रमिक पर नियोजित करना तथा उन्हें वेतन, पारिश्रमिक, शुल्क एवं छात्रवृत्ति देना।

गवाह का हस्ताक्षर

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

(एच) साक्षरता, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक प्रतिविधियों को जागरुकता अभियान कार्यक्रमों, वयस्क शिक्षा कक्षाओं, भाषणों, लेख प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पत्रकार सम्मेलनों एवं विचार गोष्ठी आयोजित कर संवर्द्धित करना।

(आई) न्यास के नाम में भूमि अथवा भवन क्रय/अर्जित करना तथा एवं उसपर भवन निर्माण करना।

(जे) बिना किसी जाति, रंग, वंश, धर्म अथवा लिंग के भेदभाव के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निःशुल्कता एवं अन्य प्रकार की सुविधा की स्थापना एवं संधारण करना जिसमें पुस्तक की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अध्ययन के लिए अन्य सुविधायें शामिल हैं।

(के) विद्वान, साहित्य, संगीत, नाट्यकला एवं ललित कलाओं की संस्थाओं को स्थापित करने, बढ़ावा देने, समर्थन देने, संधारण करने के लिए सहायता स्वीकृत करने तथा सर्व साधारण के हित के लिए समतुल्य उदेश्यों से भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को एवं शोध संस्थाओं का संरक्षण करना।

(एल) जन साधारण के उपयोग के लिए उधान, बागीचा, व्यायामशाला, खेल–कूद क्लब, धर्मशाला एवं विश्राम गृह की स्थापना करना, संधारण करना तथा सहायता देना।

(एम) गरीबों, जरुरतमन्दों, अनाथों, विधवाओं और बुजुर्गों की सहायता एवं राहत के लिए अनाथालय, बुजुर्गों के लिए आवास, अथवा अन्य संस्थाओं की स्थापना करना, रख–रखाव करना अथवा सहायता देना।

(एन) शारीरिक रुप से विकलांग एवं अपंग अथवा मानसिक रुप से मंद बुद्धि लोगों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना तथा विकसित करना तथा ऐसे लोगों के लिए भोजन, कपड़ा, शिक्षा एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करना।

(ओ) प्राकृतिक आपदाओं यथा अकाल, भूकम्प, बाढ़, आगलगी, महामारी इत्यादि के समय पीड़ित जरुरतमंद लोगों को राहत एवं सहायता प्रदान करना तथा ऐसे कार्यों में संलग्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दान तथा अन्य सहायता प्रदान करना।

(पी) अन्य सार्वजनिक धातव्य न्यासों एवं संस्थाओं को आर्थिक सहायता करना अथवा मदद करना।

(क्यु) ऐसे कार्य/गतिविधियाँ करना जो न्यास के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा जो इसके अनुकूल हो अथवा आकस्मिक हो।

(आर) न्या द्वारा जन सामान्य के लिये भोजनालय की स्थापना एवं प्रबंधन करना।

संस्थापक का हस्ताक्षर

Rohitashva Kumar
Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

उपरोक्त सामान्य उद्देश्यों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के एवं उन्हें प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित करने के लिए न्यासियों को पूरा अधिकार होगा कि किसी प्रकार की परिसंपत्तियों सहित किसी तरह की सम्पत्ति को धारण करें, कब्जे में लें एवं किसी भवन का निर्माण करें, रख–रखाव करें। न्यास के कर्मचारियों के भले के लिए कोषगठित करने के संदर्भ में न्यास की किसी सम्पत्ति को हस्तांतरित करें अथवा अन्य तरह से निस्सारण करें, बेचें अथवा अनुबंध करे एवं जिस न्यास मे इस न्यास की अभिरुचि हो उसका प्रबंधन एवं उपबंधन स्वीकार करना। न्यासियों को अपने संविधान के अन्तर्गत नियम एवं परिनियम बनाने का अधिकार होगा।

4. संस्थापक की न्यासियों में से एक होगा, न्यास के सदस्यों के बहुमत से संस्थापक एवं प्रथम न्यासी अपने जीवन काल में सह–न्यासी नामित कर सकते हैं।

5. अगर न्यासियों में से कोई दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक चरित्रहीनता का दोषी पाया जाता है अथवा निर्धन हो जाता है अथवा अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा किसी तरह शारीरिक रुप से कमजोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में शेष न्यासीगण जब तक संस्थापक जीवित हैं उनकी सहमति से उनकी ओर से न्यासियों के बहुमत से उसे प्रस्थापित कर सकते हैं।

6. अगर न्यासियों के बीच कोई मतभेद हो तो न्यास के बहुमत सदस्यों का न्यास से संबंधित निर्णय बाध्यकारी और प्रभावी होगा तथा इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

7. अपने उद्देश्य की पूर्ति के अभाव में अथवा कार्य करने में दुष्कर हो जाने पर न्यास की विफलता की स्थिति में न्यासीगण समान विषय में न्यास के शेष कोष के उपयोग के लिए न्यायालय की शरण लेंगे।

8. न्यासीगण किसी भी स्थिति में न्यास की सम्पत्ति की हानि के लिए उत्तरदायी नही होंगे जब तक वे किसी जालसाजी के दोषी नहीं हैं।

9. यह कि न्यास का कोष उपर्युक्त कंडिका तीन में सुस्पष्ट उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

10. यह कि न्यास कोष को आरंभिक कोष से तथा दान एवं अप्रवासी भारतीयों सहित किसी व्यक्ति से अंश दान लेकर संवर्द्धित किया जा सकता है।

11. यह कि न्यासीगण हमेशा न्यास का उचित खाता संधारित करेंगे जो न्यास के कार्यालय में रखा जायेगा।

12. यह कि न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए न्यासीगण को निम्नलिखित अधिकार होंगे।

संस्थापक का हस्ताक्षर

अवर निबंधक कार्यालय बिक्रम (पटना)

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

(ए) कोई भी दान, चंदा, अनुदान एवं सहयोग राशि नकद या वस्तु किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा न्यास से सशर्त अथवा बिना शर्त स्वीकार करने का अधिकार। संस्थापक अथवा न्यासीगण से ऋण भी लिया जा सकता है जिसपर सूद की दर वर्तमान बैंक दर से अधिक नहीं होगी।

(बी) न्यास की आय का सम्पूर्ण अथवा कोई भाग अथवा न्यास कोष या उसमें जमा हुई रकम को न्यास के एक अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए जिसे न्यासीगण समय–समय पर अपने विवेक से उचित समझें।

(सी) अस्थायी रुप से न्यास की सम्पत्ति अथवा किसी निवेश को परिवर्तित करना एवं उसका संचालन करना।

(डी) न्यास कोष को अचल सम्पत्ति को गिरवी रखने के उद्देश्य से अथवा शेयर, ऋण पत्र अथवा अन्य परिसम्पत्तियों एवं निवेशों में अथवा बैंक या किसी कम्पनी में निवेश करने का अधिकार। इसमें किसी कम्पनी, बैंक को, व्यवसायिक प्रतिष्ठान को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण देने का अधिकार, उसे बदलने, क्रम परिवर्तन करने का अधिकार शामिल है जो समय–समय पर न्यासीगण के विवेक पर होगा।

(इ) मुद्रा उधार लेना, एकत्र करना, भुगतान सुरक्षित करना तथा प्रतिभू सहित या प्रतिभू के बिना रकम उधार देना।

(एफ) न्यास कोष की किसी सम्पत्ति को बेचने, निबटारा करने, स्वत्व अलग करने अथवा अन्य तरीके से निष्पादित करना।

(जी) न्यासकोष में निहित किसी अचल सम्पत्ति को भाड़े पर देना, वसीयत करना उतने समय अथवा उन शर्तों एवं भाड़े पर जिसे न्यासीगण उचित समझें।

(एच) न्यास, न्यासीगण अथवा न्यास द्वारा संचालित किसी बैंक के नाम में खाता खोलना, ऐसे खाते का संचालन करना तथा बैंक को निर्देश देना एवं उक्त खाते को खोलने एवं संचालन के लिए एक अथवा अनेक न्यासीगण या न्यासीगण द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता की व्यवस्था करना।

(आई) न्यास कोष से संबंधित सभी कार्यों, मुकदमों, दावों, मांगों एवं कार्यवाही की सामंजयन करने, बन्दोबस्त करने, सुलहनामा करने, जोड़ने, पंचों के निर्णय के लिए सुपुर्द करना।

(जे) नियोजित प्रतिनिधि अथवा अभिकर्ता को कार्यरत करना एवं ऐसे प्रतिनिधि अथवा अभिकर्तागण को ऐसे अधिकार सौंपने के लिए इस विलेख में हैं, उन्हें सौपना तथा समय–समय पर ऐसे प्रतिनिधि अथवा अभिकर्ता को हटाना एवं अन्य लोगों को उनकी जगह बहाल करना।

(के) न्यास के संचालन के उद्देश्य से ऐसे ढंग से एवं ऐसी शर्तों एवं बधेज पर जो न्यासी द्वारा स्वीकृत नियमों एवं परिनियमों के अधीन हो

संस्थापक का हस्ताक्षर

Rohitashva Kumar
Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

किसी व्यक्ति को नियोजित करना अथवा नियोजन की व्यवस्था करना (जिसमें कोई अथवा सभी न्यासीगण अथवा समितियाँ अथवा प्रशासक अथवा प्रबंधक न्यासी अथवा अन्य शामिल है)। साथ ही पृथक न्यासीगण को नियोजित करने अथवा इसकी व्यवस्था करने जिन्हे समय–समय पर न्यासीगण के विवेक से निमित नियम या परिनियम के अधीन इस विलेख की व्यवस्थाओं के अधीन किसी कोष अथवा निवेश को अपने अधिकार में रखना।

(एल) न्यास के कार्यो एवं इसके उद्देश्यो को आगे बढाने के लिए तथा वेतन, मजदूरी, छात्रवृति या शुल्क का भुगतान करने के लिए उचित कर्मचारी, कामगार, कानूनी विशेषज्ञ, अन्य व्यवसायिकों, अभिकर्ताओं एवं प्राधिकार व्यवस्थापक को नियुक्त करना, नियोजित करना एवं भाडे पर लगाना।

(एम) न्यास के उद्देश्यों के संचालन तथा उसके प्रबंधन कार्यो के लिए अथवा न्यास के उद्देश्यों के निष्पादन के लिए किसी संस्था का संचालन करने के लिए अथवा अन्य तरीके से न्यास के उद्देश्यों को प्रभावकारी बनाने के लिए किसी नियम, परिनियम, बनाना, परिवर्तन करना, अथवा किसी योजना को संशोधित करना।

(एन) सार्वजनिक हित के लिए किसी परोपकारी अथवा परोपकारी संस्थान का प्रारंभ एवं समापन, बीच में छोड़ देना एवं पुनः प्रारंभ करना एवं उनके द्वारा किसी दान अथवा अंशदान पर कोई शर्त लागू करना।

(ओ) न्यास के किसी उद्देश्य के लिए न्यास कोष अथवा न्यास कोष संकुल को अथवा उसके किसी अंश को अलग रखना अथवा एवं उसकी पूरी अथवा आंशिक आय को आवंटित करना।

(पी) इस न्यास के उद्देश्यों एवं प्रकृति के अनुरूप न्यासीगण जो अपने विवेक से उचित समझें उचित शर्तो एवं बंधेज पर दूसरे समान एवं संबद्ध उद्देश्यों वाले न्यास से इस न्यास को जोड़ना, परस्पर सहयोग करना एव उसमें मिला देना।

(क्यू) न्यास कोष अथवा न्यास संकुल की आयसे अन्य परोपकारी संस्थानों समितियों, संगठनों, न्यासों जिनकी स्थापना भारत में समान परोपकारी उद्देश्यों के लिए हुई हो या होने वाली हो जिसका वर्णन इस विलेख में हैं अथवा उनमें से किसी संस्था, समिति, संगठन अथवा न्यास को प्रारंभ करने, संधारित करने अथवा ऐसे परोपकारी उद्देश्य को संचालित करने के लिए दान के रूप में सहायता देना।

(आर) सभी खातों का निबटारा करना एवं बिना किसी हानि के लिए जबावदेह हुए बिना जो ऐसे उद्देश्य के लिए उचित समझा जाए। उनका सुलह करना, मिलाना, छोड़ देना अथवा पंचैती के लिए सुपूर्द करना।

संस्थापक का हस्ताक्षर

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

(एस) इस विलेख में वर्णित एक या सभी उद्देश्यों के लिए इस न्यास कोष की किसी सम्पति की प्रतिभू पर अथवा अन्य तरीके से पैसा उधार लेना और यह न्यसीगण के लिए विधि सम्मत होगा कि अपने निरपेक्ष स्वविवेक से सूद की दर तथा शर्त एवं बंधेज तय कर ऐसी उधारी प्राप्त करे।

(टी) न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा सरकारी विभागों, जनता एवं अन्य संस्थाओं, निगमों, कम्पनियों या व्यक्तियों के साथ किसी योजना या अन्य कामों के लिए न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान सहायता, उपहार, चंदा एवं अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं, शहरी, स्थानीय, निकायों, जिला तथा अन्य संस्थाओं, निगमों, कम्पनी या व्यक्तियों के पास आवेदन करना।

(यू) समान उद्देश्यों वाले अन्य परोपकारी न्यास, समिति, संघ, अथवा संस्था को अधिग्रहण करना अथवा अपने में मिला लेना।

(भी) न्यास की किसी शाखा या अन्य न्यास अथवा इसकी किसी शाखा जिसके समान इस न्यास के समान उद्देश्य हैं उसकी स्थापना करना, उसे आगे बढ़ाना, उसका प्रबंधन करना, उसे संगठित करना, अथवा उसे संधारित करना या उसकी स्थापना, विकास, प्रबंधन, संगठन अथवा संधारण में सहायता करना तथा इस न्यास के साथ वैसे अन्य न्यास की सम्बद्धता अथवा समामेलन को आगे बढ़ाना एवं उसका संधारण करना।

(डब्लू) इस न्यास के समान उद्देश्य वाली किसी वर्तमान संस्था या संस्थाओं का अधिग्रहण करना, उसे अर्जित करना, उसका प्रबंधन करना, नियंत्रण करना वैसी शर्तो एवं बंधेज पर जो हितकर समझे जाए।

(एक्स) जिन न्यासों, समितियों, संस्थओं अथवा संघों के सम्मेलन के लिए यह न्यास प्राधिकृत हैं उसे क्रय करना, अथवा अन्य तरीके से अर्जित करना, उसकी सम्पूर्ण या आंशिक सम्पति, देनदारी एवं प्रतिबद्धता को अधिग्रहित करना।

(वाई) इस न्यास की सारी सम्पति या कोई अंश, वैभव, देनदारी तथा प्रतिबद्धता को एक या अनेक न्यास, समितियों, संस्थाओं अथवा संघों जिसके समामेलन के लिए यह न्यास प्राधिकृत हैं, उसे हस्तांतरित करना।

(जेड) न्यासीगण अपने पूर्ण स्वविवेक से जिस समिति, निगम, संस्था न्यास या संगठन को इस विलेख में वर्णित अधिकारों व्यवस्थाओं, समझौतों एवं घोषणाओं के अधीन तथा जो इस न्यास कोष के हस्तांतरण से यथा आवश्यक संशोधनों के अधीन है, इस न्यास को किसी दूसरे, निमम, समिति, संस्था, न्यास में हस्तांतरित करना तथा सुपूर्द करना। इस

संस्थापक का हस्ताक्षर 31/12/2021

संस्थापक का हस्ताक्षर 31/12/2021

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

विलेख के न्यासीगण अस्थायी रूप से इस प्रकार हस्तांतरित न्यास कोष के बाबत वर्खास्त समझे जायेंगे।

(13) न्यासीगण मात्र वैसी ही रकम, भंडार, शेयर एवं निधि जो उनके वास्तविक हाथ में आएगी, उसके लिए उत्तरदायी होते तथा कोई न्यासी दूसरे न्यासी की लापरवाही, गलती, भूल–चुक अथवा किसी बैंकर या दूसरे व्यक्ति जिसके पास न्यास की सम्पति या परिसम्पतियाँ रखी या जमा हैं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(14) न्यासीगण न्यास से संबंधित अपने कार्यो में अथवा न्यास से संबंधित अपने वास्तविक सभी खर्चो की स्वयं प्रतिभूति कर सकते है।

(15) न्यासीयों की संख्या संस्थापक सहित दो से कम नहीं होगी तथा सात से अधिक नहीं होगी। अगर न्यासियों की संख्या दो से कम हो जाती हैं तो न्यासी रिक्तयों को भरने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा। जबतक न्यासियों की संख्या न्यूनतम से कम है।

(16) प्रबंधन न्यासी को अस्थायी रूप से यह अधिकार होगा कि वे उपरोक्त संख्या के अन्तर्गत न्यासीगण जितने समय अथवा सेवा निवृति एवं पुनः प्रवेश की जिन शर्तो एवं बंधेज पर उचित समझें अतिरिक्त न्यासी को न्यास में शामिल कर सकते ह। कोई व्यक्ति न्यासी नहीं रहेगा अगर ;पद्ध अगर यह बिना अवकाश की छुट्टी के न्यास की तीन लगातार बैठकों में अथवा एक कैलेन्डर वर्ष में जो भी अधिकतर हो, उपस्थित नहीं होता हैं । ;पपद्ध अगर उसे तीन चौथाई या यथासंभव उसके करीब शेष न्यासीगण उसे त्यागपत्र देने का आग्रह करते है।

(17) प्रत्येक न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपने इस इरादे का एक महीने का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

(18) समय–समय पर न्यासीगण न्यासीयों की बैठक के संचालन के लिए नियम परिनियम बना सकते है। ऐसे परिनियमों की अनुपस्थिति में:–

;ंद्ध न्यासियों की बैठक के लिए दो न्यासीयों का कोरम मान्य होगा।

;इद्ध न्यासीगण सभी मुद्दे परस्पर तय करेंगे।

;बद्ध जो संकल्प न्यासियों की बैठक के बिना पारित हुआ हैं, लेकिन उनका प्रसारण हुआ हैं तथा न्यासियों की दो तिहाई संख्या के लिखित हस्ताक्षर युक्त हैं वह उतना ही मान्य होगा जितना न्यासियों की बैठक में पारित कोई संकल्प।

(19) किसी संशय की स्थिति में कि क्या कोई रकम अथवा सम्पति परोपकार के लिए पूँजी अथवा आय के रूप में तथा क्या आय अथवा पूँजी से कोई खर्च वहन किया जा सकता हैं या उसका भुगतान किया जा सकता है, न्यासियों को इस पर विचार करने तथा तय करने का

संस्थापक का हस्ताक्षर

Rohitashva Kumar
Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

अधिकार होगा। ऐसा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा बशर्ते इसमें ऐसा कुछ नही होगा जो न्यासीगण को न्यास की आय को खर्च करने के लिए अधिकृत करता हैं उन उद्देश्यों के लिए जो इस विलेख द्वारा अधिकृत नहीं है।

(20) न्यास का लेखा वर्ष प्रत्येक साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा।

(21) न्यास और न्यास कोष सर्वदा के लिए होगा और अपरिवर्तनीय होगा।

(22) न्यास का कार्यालय पुरूषोत्तमपुर निसरपुरा, साई मंदिर नौबतपुर, लॉक, जिला– पटना में स्थित होगा बशर्ते कि यह न्यासियों की दो तिहाई बहुमत से बदल न दिया गया हो।

(23) यह स्पष्ट घोषित किया जाता हैं कि न्यास की सम्पति का काई भी अंश अथवा इसकी आय या वृद्धि भारत के बाहर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए लगायी नहीं जायेगी जो कानून की दृष्टि से परोपकारी उद्देश्य नहीं हैं तथा इसके सभी प्रावधान उसी रूप मे लिए जायेंगे।

(24) इंडियन स्टैम्प एक्ट की धारा 64 के अनुसार न्यास की सम्पति की मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने के लिए न्यास की सम्पति का मूल्य 1,00,000/– (एक लाख) मान पर पाँच हजार मुद्रांक शुल्क भुगतेय होगी।

उपर्युक्त अंकित दिन, तारीख एवं वर्ष को सभी पक्षकारों नें अपना–अपना हस्ताक्षर निम्न गवाहों के समक्ष बना दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे :–

गवाहगण :–

1. संजीत - कुमार
पिता :- श्री ... सिंह
ग्रा०+पो० - चैसी
थाना - नौबतपुर, पटना
31/12/2021

संस्थापक का हस्ताक्षर
31/12/2021

न्यासियों का हस्ताक्षर
रोहिताश्व कुमार
31/12/2021
सरोज बाला शर्मा
31/12/2021
31/12/2021

2.
पिता ...
ग्राम पो० अमरपुरा
थाना - नौबतपुर
जिला - पटना
31/12/2021

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

उप निबंधक कार्यालय, बिक्रम (पटना)

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	0/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	7500/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	2000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2000

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2500

Registering Officer
Bikram

Date: 31/12/2021

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bikram on Friday, 31st December 2021 by Shri Govind Sharma Late Mundrika Singh by profession Others. Status -

31/12/2021

Registering Officer
Bikram

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:31/12/2021**

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sanjeev Kumar' age '43' Sex 'M', 'Lalan Singh', resident of 'Chesi,ps-Naubatpur,dist-Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Bikram

Date : 31/12/2021

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bikram in Book 4 Volume No. 1 on pages on 395 -407, for the year 2021 and stored in CD volume No. CD-1 year 2021 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

31/12/21

Registering Officer
Bikram

Date : 31/12/2021
Token No. : 13141 **Year : 2021** **S.No. : 13076** **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . : 30**

Manager
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna

Principal
Sai sadhana Academy
Naubatpur Lock, Patna